2017 का विधेयक संख्यांक 268

[दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

वृहत् शीर्ष का संशोधन ।

2011 का 20

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, "31 दिसंबर, 2017 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

प्रस्तावना का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में,--

(क) चौथे पैरा का लोप किया जाएगा ;

(ख) नौवें पैरा और दसवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"और अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है ;";

(ग) अंतिम पैरा में, "31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2017 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2017 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2017 के पूर्व किसी भी समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 के पूर्व किसी भी समय" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) खंड (क) में "खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग)", कोष्ठकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) और खंड (ग)" कोष्ठक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में "फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पिछले कई वर्षों से असाधारण रूप से बढ़ रहा है, जिसके कारण अवसंरचना और संसाधनों पर अत्यधिक दबाब पड़ रहा है और जिसके कारण अन्य बातों के साथ, आवासन, वाणिज्यिक स्थलों और अन्य सिविक सुविधाओं के लिए सतत् रूप से मांग में बढ़ोतरी हो रही है । इसके परिणामस्वरूप, लोकभूमि का अतिक्रमण, झुग्गी-झोपड़ियों में बढ़ोतरी, अप्राधिकृत संनिर्माणों में वृद्धि, आवासीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक उपयोग, आवासन स्टॉक की अपर्याप्तता की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ।

2. उस समय जब दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) तैयार किया जा रहा था, तब दंडात्मक कार्रवाई से कतिपय प्रकार के अप्राधिकृत विकासों की संरक्षा करने हेतु दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006, 19 मई, 2006 को अधिनियमित किया गया था, जो एक वर्ष की अवधि के लिए था । इसके पश्चात्, ऐसे ही और अधिनियम आए जो एक-एक वर्ष के लिए ही प्रवृत्त थे । तत्पश्चात्, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का उक्त अधिनियम) अधिनियमित किया गया था, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त था । इसे 2014 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 के द्वारा तीन वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया गया था और उसकी विधिमान्यता 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त हो रही है ।

3. 2011 के उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, स्लमों में रहने वाले लोगों और झुग्गी-झोपड़ी समूहों के लिए पुन:स्थापन या पुनर्वास; शहरी पथ विक्रेताओं का विनियमन; अप्राधिकृत कालोनियों का विनियमन; ग्राम आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तार; अनुज्ञेय भवन सीमाओं से परे संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले विद्यमान फार्म हाउसों के संबंध में नीति; कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, भंडारों, भांडागारों और गोदामों का विनियमन; विद्यमान गोदाम समूहों का पुनःविकास; विशेष क्षेत्रों के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थाएं और मास्टर प्लान के पुनर्विलोकन पर उसके अनुरूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना के लिए सुव्यवस्थित ठहराव किए जाने थे ।

4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली के नगर निगमों (एमसीडी) द्वारा अतिक्रमण और अप्राधिकृत विकास की समस्याओं से निपटने के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थाएं करने हेतु संनियमों, नीति निर्देशों, साध्य रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए उपाय किया जाना अपेक्षित है । ये निकाय इस संबंध में सर्वेक्षणों को कराने, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पुनःविकास योजना को तैयार करने, नीतियों को अंतिम रूप देने, अनुमोदन आदि प्राप्त करने के लिए उपाय करने की प्रक्रिया कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार, 2011 के उक्त अधिनियम में यथापरिकल्पित कार्रवाई को पूरा करने के लिए हुई प्रगति की मानीटरी करने के लिए सभी पणधारियों के साथ बातचीत कर रही है । बहुल पणधारियों को अंतर्वलित करने वाली इस प्रक्रिया में कुछ और अधिक समय लगने की संभावना है । इसी दौरान, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 में पर्याप्त उपबंध कर दिए जाने के कारण 2011 के

उक्त अधिनियम में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पथ विक्रेताओं के संरक्षण हेतु उपबंध अब आवश्यक नहीं हैं ।

5. इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अप्राधिकृत विकासों के कतिपय रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षा को जारी रखने के लिए 2011 के उक्त अधिनियम की विधिमान्यता को सीमित अवधि अर्थात्, 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित करना और सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और अंतर्वलित अन्य संगठनों को इन अप्राधिकृत विकासों के संबंध में योजना के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए नीतियों, संनियमों और रणनीतियों के लिए संतुलित और सुविचारित मत बनाने हेतु समय अनुज्ञात करना है ।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 के उपबंधों का 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 दिसम्बर, 2017

हरदीप सिंह पुरी

उपाबंध

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 20) से उद्धरण

* * * * * * *

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2017 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

* * * * * * *

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक रणनीति और स्कीम तैयार की गई है और कार्यान्वित की जा रही है;

* * * * * * *

और फेरीवालों तथा शहरी पथ विक्रेताओं से संबंधित स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए और अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार, फेरीवालों और शहरी पथ विक्रेताओं के संबंध में एक विधि अधिनियमित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसमें इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली विधिक प्रक्रिया के कारण काफी समय लगने की संभावना है ;

* * * * * * *

और यह समीचीन है कि ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत किसी अभिकरण द्वारा किसी दांडिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो ;

* * * * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि ।

1. (1) * * * * * *

(4) यह 31 दिसम्बर, 2017 को, सिवाय उन बातों के, प्रवृत्त नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवृत्त न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने का लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवृत्त न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो ।

1897 का 10

* * * * * * *

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।

3. (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टरों

के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उत्पादों (डेयरी और कुक्कुट सहित) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण या अधिक्रमण के रूप में अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए मानकों, नीतिगत दिशानिर्देशों और साध्य रणनीतियों को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:–

* * * * * * *

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में उपबंधित रूप में शहरी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए स्कीम और क्रमबद्ध व्यवस्था;

* * * * * * *

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसम्बर, 2017 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि—

(क) उसका निर्माण उपधारा (2) में यथा प्रगणित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व किया जाता है ;

(ख) वह प्रवृत्त सुरक्षा मानकों या ऐसी अन्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरुप हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ; और

(ग) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी निदेशों, यदि कोई हैं, का अनुपालन करता है :

परन्तु यह कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होने की दशा में संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, 31 दिसम्बर, 2017 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

* * * * * * *

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना ।

4. इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई राहत उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात्:–

(क) उन मामलों को छोड़कर, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण के संबंध में;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों और शहरी पथ विक्रेताओं, फेरी वालों, अप्राधिकृत कॉलोनियों या उनके भाग, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण को हटाए जाने के संबंध में ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—3046LS(CRC)—20-12-2017.